

पटना उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार

2016 की आपराधिक विविध वाद संख्या 36691

थाना से उत्पन्न मामला संख्या-195 वर्ष 2014 थाना-ललित नारायण विश्वविद्यालय जिला-
दरभंगा

1. बंदना मिश्रा, पत्नी- स्वर्गीय अशोक कुमार मिश्रा
2. अनुराग गौतम, पुत्र- स्वर्गीय अशोक कुमार मिश्रा,
दोनों मोहल्ला- डेन्बे रोड, थाना-एल.एन.एम.विश्व विद्यालय, जिला-दरभंगा के निवासी हैं।

... ..याचिकाकर्ता

बनाम

1. बिहार राज्य
2. आशुतोष कुमार मिश्र, पुत्र- स्वर्गीय बिंदेश्वरी प्रसाद मिश्र, निवासी- मोहल्ला-डेन्बे रोड, थाना-एलएन मिश्रा, विश्व विद्यालय, जिला-दरभंगा, वर्तमान में मकान नं.19, लेन नं.1, गायत्री मंदिर निवासी रोड, डाकघर-सिंगरौली, जिला-सिंगरौली(मध्यप्रदेश)।

... ..विपरीत पक्ष

=====

उपस्थिति :

याचिकाकर्ताओं की ओर से	:	श्री एम.एन. परबत, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री प्रवीण प्रभाकर, अधिवक्ता श्री अभय कुमार सिंह, अधिवक्ता
राज्य की ओर से	:	श्री श्यामेश्वर दयाल, एपीपी
विपक्षी पक्ष संख्या 2 की ओर से	:	श्री रिकेश सिन्हा, अधिवक्ता श्री दिलीप कुमार सिंह, अधिवक्ता

=====

अधिनियम/धारा/नियम:

भारतीय दंड संहिता की धारा 341, 323, 448, 380, 504 और 506 को धारा 34 के साथ पढ़ा जाए

संदर्भित मामले:

हरियाणा राज्य बनाम भजन लाल, [1992 सप (1) एससीसी 335]

जी सागर सूरी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, [(2000) 2 एससीसी 636]

उषा चक्रवर्ती और अन्य बनाम पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य [(2023) एससीसी ऑनलाइन एससी 90]

आवेदन - सीजेएम द्वारा पारित संज्ञान के आदेश को रद्द करने के लिए दायर किया गया, जिसके तहत उन्होंने आईपीसी की धारा 341, 323, 448, 380, 504 और 506 के साथ पठित धारा 34 के तहत दंडनीय अपराधों का संज्ञान लिया है।

सूचक ने आरोप लगाया था कि याचिकाकर्ताओं ने उसके कमरे का ताला तोड़ दिया और उसका सामान ले लिया।

माना गया - मुखबिर घटना का चश्मदीद गवाह नहीं है और याचिकाकर्ताओं को ताला तोड़ने या घर का सामान ले जाने में कोई विशेष भूमिका नहीं दी गई। एफआईआर का विवरण नागरिक विवाद पर जोर देता है, जहां ऐसा प्रतीत होता है कि मुखबिर संपत्ति में अपने हिस्से के लिए संघर्ष कर रहा है, जिसके लिए वह एक टाइटल सूट में प्रतिवादी-हस्तक्षेपकर्ता के रूप में शामिल हुआ है। - प्रथम दृष्टया यह पता लगाना सुरक्षित है कि पक्षों के बीच विशेष रूप से घर के बंटवारे से संबंधित नागरिक विवादों को वर्तमान एफआईआर के माध्यम से आपराधिक रंग दे दिया गया है, जो याचिकाकर्ताओं के लिए प्रथम दृष्टया कोई आपराधिक दायित्व नहीं बनाता है। (पैरा 12)

आवेदन की अनुमति है (पैरा 13)

=====

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय आदेश

=====

समक्ष:-माननीय न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखर झा

मौखिक निर्णय

दिनांक : 16-04-2024

विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एम.एन.परबत को सुना गया। याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए श्री श्यामेश्वर दयाल, विद्वान एपीपी राज्य की ओर से विधिवत उपस्थित हुए श्री रिकेश सिन्हा, विद्वान अधिवक्ता विपक्षी पक्ष नं.2.

2. वर्तमान आवेदन एल.एन.एम. विश्व विद्यालय थाना केस संख्या 195/2014 (ट्रायल संख्या 410/2016) में विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दरभंगा द्वारा दिनांक 19.05.2015 को पारित संज्ञान आदेश को रद्द करने के लिए दायर किया गया है, जिसके तहत विद्वान क्षेत्राधिकारी मजिस्ट्रेट ने याचिकाकर्ताओं के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (संक्षेप में 'आईपीसी') की धारा 341, 323, 448, 380, 504 और 506 के साथ दंडनीय अपराधों का संज्ञान लिया है।

3. अभियोजन का मामला आशुतोष कुमार मिश्रा, सूचक/विपक्षी संख्या 2, दिनांक 27.08.2014 के लिखित आवेदन पर आधारित है, जो प्रभारी अधिकारी, एल.एन.एम. विश्व विद्यालय पुलिस स्टेशन के समक्ष दायर किया गया था, जिसमें कहा गया था कि उनका पैतृक घर डेनबे रोड में स्थित है, लेकिन वे आमतौर पर अपने व्यापारिक गतिविधियों के सिलसिले में सिंगरौली में रहते हैं। सूचक के दो भाई हैं, जिनमें से एक बड़ा अशोक कुमार मिश्रा है, जिनकी बहुत पहले मृत्यु हो गई थी। सूचक ने अपने हिस्से के घर में अपना ताला लगा दिया था और जब भी वह दरभंगा जाता था, तो वहीं रहता था। सूचक/विपक्षी सं. 2 ने आगे आरोप लगाया कि दिनांक 13.07.2014 को जब वे अपने दिवंगत बड़े भाई के दामाद बिमलेश कुमार झा के साथ दरभंगा आये तो देखा कि उनके कमरे का ताला टूटा हुआ है तथा उनका सामान गायब है। उनकी भाभी बन्दना मिश्रा (याचिकाकर्ता सं.1) तथा भतीजे अनुराग गौतम (याचिकाकर्ता सं. 2) ने उनके साथ गाली-गलौज की तथा वहां से चले जाने को कहा। सूचक के विरोध करने पर उनके कहने पर वहां उपस्थित दो-तीन अज्ञात व्यक्तियों ने विवाद शुरू कर दिया तथा उन्हें धक्का देकर गेट से बाहर निकाल दिया। उनके भतीजे ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी। सूचक/विपक्षी सं. 2 ने आगे आरोप लगाया कि अगली सुबह सूचक ने घटना की जानकारी आस-पास के गणमान्य लोगों को दी, जिन्होंने अपने स्तर पर मामले को निपटाने का प्रयास किया, लेकिन सूचक सं. 1 नहीं माने। इसके बाद सूचक ने पुलिस को सूचना दी, पुलिस ने 17.07.2014 को याचिकाकर्ता संख्या 1 के साथ बैठक आयोजित की, जिसमें याचिकाकर्ता संख्या 1 बंदना मिश्रा ने वादा किया कि चल रही पूजा (प्रार्थना) समारोह के समापन के बाद वह सूचक और उसके सामान का हिस्सा वापस कर देगी, लेकिन बाद में वह अपने पहले के वादे से मुकर गई। वह धोखाधड़ी से उसकी जमीन हड़पना चाहती है।

4. उपर्युक्त तथ्यात्मक आरोप के साथ, एल.एन.एम. विश्व विद्यालय थाना कांड संख्या 195/2014 याचिकाकर्ताओं के खिलाफ पंजीकृत किया गया था, जहां जांच के बाद, पुलिस ने आईपीसी की धारा 341, 323, 448, 380, 504 और 506 के साथ 34 के तहत अपराधों के लिए आरोप पत्र प्रस्तुत किया है, जहां विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दरभंगा ने अभिलेखों के अवलोकन के बाद 19.05.2015 के आदेश के तहत अपराधों के लिए संज्ञान लिया, जो कि विवादित आदेश है और वर्तमान याचिका का विषय है।

5. याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री एम.एन. परबत ने दलील दी है कि वर्तमान मामला दुर्भावनापूर्ण अभियोजन का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जिसका उद्देश्य केवल दीवानी विवाद को आपराधिक रंग देना है और केवल इसी आधार पर वर्तमान कार्यवाही को रद्द किया जाना चाहिए और उसे अलग रखा जाना चाहिए। यह बताया गया है कि प्राथमिकी के आधार पर याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कोई मामला नहीं

बनता है, क्योंकि याचिकाकर्ता विवादित घर में अपने परिवार के सदस्यों के साथ सह-हिस्सेदार हैं। श्री परबत ने आगे बताया कि विपक्षी संख्या 2 ने बिहार भूमि विवाद निवारण फोरम (संक्षेप में 'बीएलडीआर'), दरभंगा से सहायक दस्तावेजों के साथ संपर्क किया है, जो विभिन्न अनुलग्नकों के माध्यम से वर्तमान याचिका के साथ भी उपलब्ध हैं, लेकिन विपक्षी संख्या 2 के कब्जे और शीर्षक के पक्ष में नहीं पाया गया, क्योंकि दस्तावेज उक्त मुद्दे पर कोई उचित आदेश पारित करने के लिए पर्याप्त नहीं थे। यह प्रस्तुत किया गया है कि उक्त आदेश 10 दिसंबर, 2013 को पारित किया गया था। उक्त आदेश से निराश होकर, 27.08.2014 को, काल्पनिक आधार पर, वर्तमान आपराधिक मामला दर्ज किया गया था, जहां प्राथमिकी का चेहरा ही घटना के संबंध में कई विरोधाभासी तथ्यों का सुझाव देता है। अपने तर्क के समर्थन में, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एम.एन. परबत ने कहा कि यद्यपि प्राथमिकी के पहले भाग में याचिकाकर्ताओं ने विवादित घर पर अपना कब्जा होने का दावा किया था, लेकिन बाद में यह लिखा गया कि घर का हिस्सा सूचक/विपरीत पक्ष संख्या 2 को पूजा समारोह पूरा होने के बाद दिया जाना सुनिश्चित किया गया था, जिसे 17.07.2014 को संपन्न होने का दावा किया गया था। श्री परबत ने आगे कहा कि याचिकाकर्ताओं के तहत मुकदमा दायर किया है। बिक्री विलेख के निष्पादन के लिए दरभंगा महाराज के समक्ष एक आवेदन दायर किया गया है, जो उप-न्यायाधीश-I, दरभंगा की अदालत में लंबित है, जहां विपरीत पक्ष संख्या 2 भी प्रतिवादी-हस्तक्षेपकर्ता के रूप में शामिल हुआ। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने आगे बताया कि पूरी प्राथमिकी सिविल विवाद, अतिक्रमण और शेयर विवादों के इर्द-गिर्द घूम रही है, जहां ताला तोड़ने के संबंध में कथित घटना के लिए, सूचक निस्संदेह एक प्रत्यक्षदर्शी नहीं है। यह प्रस्तुत किया गया है कि जब प्राथमिकी के माध्यम से, विपरीत पक्ष संख्या 2/सूचनाकर्ता ने स्वयं विवाद किया कि उसका हिस्सा पूजा समाप्त होने के बाद यानी 17.07.2014 के बाद दिए जाने का आश्वासन दिया गया था, तो याचिकाकर्ताओं द्वारा घरेलू सामान लेने या उस पर किसी भी कब्जे का कोई सवाल ही नहीं उठता है, जैसा कि दावा किया गया है, और, इस तरह, वर्तमान प्राथमिकी याचिकाकर्ताओं पर बदला लेने के गुप्त उद्देश्य से निजी और व्यक्तिगत द्वेष से उन्हें परेशान करने के उद्देश्य से दुर्भावनापूर्ण रूप से स्थापित की गई प्रतीत होती है।

6. उपर्युक्त प्रस्तुतियों के समर्थन में, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने हरियाणा राज्य बनाम भजन लाल, [1992 सप (1) एससीसी 335], जी. सागर सूरी बनाम यूपी राज्य, [(2000) 2 एससीसी 636] और उषा चक्रवर्ती और अन्य बनाम पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य [(2023) एससीसी ऑनलाइन एससी 90] के मामलों में पारित माननीय सर्वोच्च न्यायालय की कानूनी रिपोर्टों पर भरोसा किया है।

7. *इसके विपरीत*, विपक्षी पक्ष सं.2 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री रिकेश सिन्हा ने दलील दी कि केवल इस आधार पर कि पक्षों के बीच सिविल विवाद लंबित हैं, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि यह दुर्भावनापूर्ण रूप से स्थापित किया गया है, आपराधिक मामला रद्द नहीं किया जा सकता है। यह दलील दी गई है कि विपक्षी पक्ष सं. 2, घर के आधे हिस्से पर काबिज था और जब भी वह दरभंगा आता था, तो आमतौर पर घर के उक्त हिस्से में जाता और रहता था। विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी बताया गया है कि विपक्षी पक्ष सं. 2 ने याचिकाकर्ताओं के साथ महाराजा कार्यालय, आरडी, दरभंगा में नकद भी जमा किया था, यह सुझाव देते हुए कि वह भी उक्त घर के सह-शेयरधारकों में से एक है, लेकिन जब ऐसे ही एक अवसर पर, वह 13.07.2014 को अपने घर गया, तो वर्तमान घटना उसके ज्ञान में आई, क्योंकि उसने अपने घर का ताला टूटा हुआ पाया। यह बताया गया है कि केवल सिविल विवाद के आधार पर वर्तमान घटना से इनकार नहीं किया जा सकता के मामले में याचिकाकर्ताओं द्वारा पूरी जांच के बाद, जहां अब मुकदमा शुरू हुआ है और इस मामले में अब तक लगभग तीन गवाहों की जांच की जा चुकी है। बहस का समापन करते हुए, विपक्षी पक्ष संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता ने निष्पक्ष रूप से प्रस्तुत किया कि विपक्षी पक्ष संख्या 2 याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर उप-न्यायाधीश-I, दरभंगा के समक्ष लंबित सिविल मुकदमे में प्रतिवादी-हस्तक्षेपकर्ता के रूप में शामिल हुआ है।

8. एक जवाबी दलील देते हुए, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री प्रभात ने कहा कि दो या तीन गवाहों की जांच या आरोप तय होने के बाद भी ट्रायल शुरू होने का मतलब यह नहीं है कि दंड प्रक्रिया संहिता (संक्षेप में 'सीआरपीसी') की धारा 482 या भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाकर कार्यवाही को रद्द नहीं किया जा सकता है, खासकर तब जब अभियुक्तों/याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कोई *प्रथम दृष्टया* अपराध नहीं बनता है, जो अन्यथा याचिकाकर्ताओं को आपराधिक मुकदमे की पीड़ा से गुजरने की अनुमति देने के बराबर होगा। यह प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्ताओं ने अगस्त, 2016 में ही इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण, यह मामला पहली बार अक्टूबर, 2023 में ही बोर्ड पर आया। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि जब संज्ञान का आदेश कानून की नजर में खराब प्रतीत हो रहा है, तो आरोप तय करने सहित आगे की कोई भी कार्यवाही न्यायसंगत नहीं कही जा सकती है और केवल उक्त आधार पर याचिका को खारिज करने से इनकार नहीं किया जा सकता है।

9. उपर्युक्त संदर्भ में, **जी सागर सूरी केस (सुप्रा)** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित कानूनी रिपोर्ट के पैरा-7, 8 और 9 को पुनः उद्धृत करना समीचीन होगा, जो निम्नानुसार है:

“7. दूसरे प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता श्री ललित ने प्रस्तुत किया कि अपीलकर्ताओं ने पहले ही अपने आरोपमुक्ति के लिए अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में एक आवेदन दायर किया है और इस अदालत को उन आपराधिक कार्यवाही में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए जो कि शुरू होने वाली है। हमें नहीं लगता कि आरोपमुक्ति के लिए कोई भी आवेदन दायर करने पर, उच्च न्यायालय संहिता की धारा 482 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग नहीं कर सकता है। इस संबंध में, *पेप्सी फूड्स लिमिटेड बनाम विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट [(1998) 5 एससीसी 749]* और *अशोक चतुर्वेदी बनाम शितुल एच. चंचनी [(1998) 7 एससीसी 698]* में इस न्यायालय के दो निर्णयों का संदर्भ दिया जा सकता है, जिसमें यह विशेष रूप से माना गया है कि हालांकि किसी मामले की सुनवाई कर रहे मजिस्ट्रेट के पास मुकदमे के किसी भी चरण में आरोपी को आरोपमुक्त करने का अधिकार क्षेत्र है यदि वह आरोप को निराधार मानता है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आरोपी अपने विरुद्ध कार्यवाही को रद्द करने के लिए संहिता की धारा 482 या संविधान के अनुच्छेद 227 के अंतर्गत उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे, जबकि उनके विरुद्ध कोई अपराध नहीं किया गया है, फिर भी उन्हें आपराधिक मुकदमे की पीड़ा क्यों सहनी चाहिए।

8. धारा 482 के अंतर्गत क्षेत्राधिकार का प्रयोग बहुत सावधानी से किया जाना चाहिए। अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते समय उच्च न्यायालय को मामले की सतही जांच नहीं करनी चाहिए। यह देखा जाना चाहिए कि क्या कोई मामला, जो मूलतः सिविल प्रकृति का है, को आपराधिक अपराध का जामा पहनाया गया है। आपराधिक कार्यवाही कानून में उपलब्ध अन्य उपायों का शॉर्टकट नहीं है। प्रक्रिया जारी करने से पहले आपराधिक न्यायालय को बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। अभियुक्त के लिए यह एक गंभीर मामला है। इस न्यायालय ने कुछ सिद्धांत निर्धारित किए हैं जिनके आधार पर उच्च न्यायालय को धारा 482 के अंतर्गत अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग करना है। इस धारा के अंतर्गत क्षेत्राधिकार का प्रयोग किसी भी न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग

को रोकने या अन्यथा न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए किया जाना चाहिए। "

9. कर्नाटक राज्य बनाम एल. मुनीस्वामी [(1977) 2 एससीसी 699] में इस न्यायालय ने कहा कि संहिता की धारा 482 के तहत पूर्ण शक्ति के प्रयोग में उच्च न्यायालय किसी कार्यवाही को रद्द करने का हकदार है यदि वह इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि कार्यवाही जारी रखने की अनुमति देना न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा या न्याय के उद्देश्यों के लिए यह आवश्यक है कि कार्यवाही को रद्द कर दिया जाए।

10. **भजन लाल केस (सुप्रा)** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णीत विधिक रिपोर्ट के पैरा 102 को पुनः उद्धृत करना समीचीन होगा, जो निम्नानुसार है:-

102. संहिता के अध्याय **XIV** के अंतर्गत विभिन्न प्रासंगिक प्रावधानों की व्याख्या और अनुच्छेद 226 के अंतर्गत असाधारण शक्ति या संहिता की धारा 482 के अंतर्गत अंतर्निहित शक्तियों के प्रयोग से संबंधित निर्णयों की श्रृंखला में इस न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि के सिद्धांतों की पृष्ठभूमि में, जिन्हें हमने ऊपर उद्धृत और पुनः प्रस्तुत किया है, हम उदाहरण के तौर पर मामलों की निम्नलिखित श्रेणियां देते हैं जिनमें ऐसी शक्ति का प्रयोग किसी न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए या अन्यथा न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए किया जा सकता है, हालांकि कोई सटीक, स्पष्ट रूप से परिभाषित और पर्याप्त रूप से सुसंचालित और अनम्य दिशानिर्देश या कठोर सूत्र निर्धारित करना संभव नहीं हो सकता है और ऐसे असंख्य प्रकार के मामलों की विस्तृत सूची देना संभव नहीं है जिनमें ऐसी शक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए।

(1) जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट या शिकायत में लगाए गए आरोप, भले ही उन्हें उनके अंकित मूल्य पर लिया जाए और उनकी संपूर्णता में स्वीकार किया जाए, प्रथम दृष्टया कोई अपराध नहीं बनता है या अभियुक्त के खिलाफ कोई मामला नहीं बनता है।

(2) जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट और प्राथमिकी के साथ दी गई अन्य सामग्रियों में लगाए गए आरोप, यदि कोई हों, किसी संज्ञेय अपराध का खुलासा नहीं करते हैं, तो धारा 155(2) के दायरे में मजिस्ट्रेट के आदेश को छोड़कर, संहिता की धारा 156(1) के तहत पुलिस अधिकारियों द्वारा जांच को उचित ठहराया जा सकता है।

(3) जहां प्राथमिकी या शिकायत में लगाए गए निर्विवाद आरोप और उनके समर्थन में एकत्र किए गए साक्ष्य किसी अपराध के होने का खुलासा नहीं करते हैं और आरोपी के खिलाफ मामला नहीं बनाते हैं।

(4) जहां प्राथमिकी में आरोप संज्ञेय अपराध नहीं बनते बल्कि केवल गैर-संज्ञेय अपराध बनते हैं, वहां संज्ञेय अपराध के मामले में, संहिता की धारा 155(2) के तहत मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना पुलिस अधिकारी द्वारा जांच की अनुमति नहीं है।

(5) जहां प्राथमिकी या शिकायत में लगाए गए आरोप इतने बेतुके और स्वाभाविक रूप से असंभव हैं, जिनके आधार पर कोई भी विवेकशील व्यक्ति कभी भी इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकता है कि अभियुक्त के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार है।

(6) जहां संबंधित संहिता या अधिनियम (जिसके अंतर्गत आपराधिक कार्यवाही शुरू की गई है) के किसी प्रावधान में कार्यवाही शुरू करने और जारी रखने पर स्पष्ट कानूनी रोक लगाई गई है और/या जहां संबंधित संहिता या अधिनियम में पीड़ित पक्ष की शिकायत के लिए प्रभावकारी निवारण प्रदान करने वाला कोई विशिष्ट प्रावधान है।

(7) जहां आपराधिक कार्यवाही स्पष्ट रूप से दुर्भावनापूर्ण तरीके से की जाती है, और/या जहां कार्यवाही

दुर्भावनापूर्ण तरीके से अभियुक्त पर बदला लेने के गुप्त उद्देश्य से और निजी और व्यक्तिगत द्वेष के कारण उसे परेशान करने के उद्देश्य से शुरू की जाती है। "

11. उषा चक्रवर्ती केस (सुप्रा) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित कानूनी रिपोर्ट के पैरा-6 को पुनः प्रस्तुत करना समीचीन होगा, जो निम्नानुसार है: -

"6. परमजीत बत्रा बनाम उत्तराखंड राज्य, [(2013) 11 एससीसी 673] में, इस न्यायालय ने कहा:--

"12. उच्च न्यायालय को भारतीय दंड संहिता की धारा 482 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते समय सतर्क रहना होगा। इस शक्ति का प्रयोग संयम से तथा केवल किसी न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने या अन्यथा न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के उद्देश्य से किया जाना चाहिए। शिकायत में आपराधिक अपराध का खुलासा होता है या नहीं, यह उसमें आरोपित तथ्यों की प्रकृति पर निर्भर करता है। आपराधिक अपराध के आवश्यक तत्व मौजूद हैं या नहीं, इसका निर्णय उच्च न्यायालय को करना होता है। सिविल लेन-देन का खुलासा करने वाली शिकायत में भी आपराधिक स्वरूप हो सकता है। लेकिन उच्च न्यायालय को यह देखना चाहिए कि क्या एक विवाद जो अनिवार्य रूप से सिविल प्रकृति का है, उसे आपराधिक अपराध का आवरण दिया गया है। ऐसी स्थिति में, यदि कोई सिविल उपाय उपलब्ध है और वास्तव में अपनाया गया है, जैसा कि इस मामले में हुआ है, तो उच्च न्यायालय को न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने में संकोच नहीं करना चाहिए।

12. उपर्युक्त तथ्यात्मक और कानूनी प्रस्तुतियों के मद्देनजर, ऐसा प्रतीत होता है कि विपरीत पक्ष संख्या 2/सूचक घटना का चश्मदीद गवाह नहीं है और याचिकाकर्ताओं पर ताला तोड़ने या घर का सामान ले जाने के संबंध में कोई विशेष भूमिका नहीं बताई गई है। प्राथमिकी का वर्णन नागरिक विवाद के बारे में जोर देता है, जहां ऐसा प्रतीत होता है कि सूचक संपत्ति में अपने हिस्से के लिए संघर्ष कर रहा है, जिसके लिए वह उप-न्यायाधीश-I, दरभंगा के समक्ष लंबित शीर्षक वाद संख्या 133/2015 में प्रतिवादी-हस्तक्षेपकर्ता के रूप में

शामिल हुआ है। सूचक का दावा बिहार भूमि विवाद निवारण फोरम, दरभंगा द्वारा भी स्वीकार नहीं किया गया। इसलिए, प्राथमिकी से आरोपों को समग्रता में लेने पर, *प्रथम दृष्ट्या* यह निष्कर्ष निकालना सुरक्षित है कि विशेष रूप से मुद्दे में घर के विभाजन को लेकर पक्षों के बीच नागरिक विवाद को वर्तमान प्राथमिकी के माध्यम से आपराधिक रंग दिया गया था **भजन लाल केस (सुप्रा)** की धारा (1) और (7) तथा **उषा चक्रवर्ती केस (सुप्रा)** द्वारा भी।

13. तदनुसार, संज्ञान के दिनांक 19.05.2015 के आक्षेपित आदेश को, जो विद्वान मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, दरभंगा द्वारा एलएनएम विश्वविद्यालय थाना केस संख्या 195/2014 (ट्रायल संख्या 410/2016) में याचिकाकर्ताओं के संबंध में पारित किया गया था, तथा इसके सभी परिणामी कार्यवाहियों को रद्द किया जाता है।

14. आवेदन स्वीकार किया जाता है।

15. निर्णय की एक प्रति तत्काल विद्वान ट्रायल कोर्ट को भेजी जाए।

(चन्द्र शेखर झा, न्यायाधीश)

संजीत/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।